न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 175/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2024/581
दायर दिनांक :– 08.08.2024 **निर्णय दिनांक :–** 02.06.2025

1. पांचाराम पुत्र खेताराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 221/407 रकबा 48–00 बीघा मौजा रामनगर पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप में स्थित है। खसरा गिरदावरी व नक्शा संलग्न पेश है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि पूर्व में मूल खसरा नम्बर 221 से अलग की जाकर मूल खसरा नम्बर 221 में बट्टा डालकर खसरा नम्बर 221/407 किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि का पूर्व में मूल खसरा नम्बर 221 दर्ज था एवं पूर्व में सम्पूर्ण खसरा नम्बर 221 प्रार्थी की 48–00 बीघा खातेदारी भूमि को छोड़कर सिवाय चक राज्य सरकार के नाम दर्ज थी। उक्त खातेदारी भूमि को पूर्व में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा उपनिवेशन विभाग में परिवर्तन करते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि को लट्ठा नक्शा व प्रार्थी के कब्जे काश्त से भिन्न दर्ज कर ली गयी जो सरासर कानूनन विधि विरूद्व तरीके से उक्त तरमीम गलत दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि पूर्व में लट्ठा नक्शा से भिन्न परिवर्तन कर उपनिवेशन विभाग द्वारा राजस्व रेकर्ड बाप में दर्ज की गयी थी तत्पश्चात उपनिवेशन विभाग द्वारा उक्त भूमि को परिवर्तन कर लट्ठा नक्शा से भिन्न दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि जो पूर्व में नक्शें में उतर पूर्व दिशा में दर्ज थी उक्त भूमि को परिवर्तन कर वर्तमान में पश्चिम दिशा में परिवर्तित कर प्रार्थी खसरा नम्बर 221/407 के अलावा खसरा नम्बर 220 के साथ तरमीम कर दी गयी। प्रार्थी की पूर्व में की गयी तरमीम व कब्जे के अनुसार तरमीम को यथावत रखते हुवे पुनः प्रार्थी के कब्जे व मौके पर बने टांका, पक्का मकान के कब्जे अनुसार तरमीम की जाकर पूर्व अनुसार प्रार्थी का खसरा नम्बर 221/407 किये जाने का आदेश फरमावे।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम रामनगर पटवार हल्का नोख तहसील बाप के खसरा नम्बर 221/407 रकबा 48–00 बीघा भूमि की तरमीम खातेदार के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की वर्तमान तरमीम नक्शा लट्ठा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का नोख एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम रामनगर पटवार हल्का नोख तहसील बाप के खसरा नम्बर 221/407 रकबा 48–00 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का नोख की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

02/6/25

(सुखराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)